आदेश पत्रक

न्यायालय उप जिलाधिकारी / सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) हाथरस

वाद सं0: T 00011172017

अर्न्तगत धारा – 80 अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006

मौजा – कोटा तहसील हाथरस।

निर्णय

प्रार्थी जगन्नाथ शिक्षा समिति, कोटा– हाथरस द्वारा सचिव शिवकुमार पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद निवासी कोटा, तहसील हाथरस ने उपरोक्त धारा के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा है कि भूमि ग्राम कोटा, तह0 व जिला हाथरस में खसरा संख्या 83 रकवा 2.470 है0 से रकवा 1.0584 है0 भूमि का संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है उक्त 1.0584 है0 भूमि में कोई कृषि कार्य कुक्कुट पालन मत्स्य पालन बागवानी आदि कार्य नहीं हो रहा है। खसरा संख्या 83 रकवा 2.470 है0 से रकवा 1.0584 है0 भूमि को अकृषक भूमि घोषित किये जाने एवं अभिलेखों में अमलदरामद किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित गाटा से सम्बन्धित उद्वरण खतौनी भी दाखिल की है। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार हाथरस से जाँच करायी गयी। तहसीलदार हाथरस ने अपनी जाँच आख्या दिनांक 12–07–2017 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खसरा संख्या 83 रकवा 2.470 है0 से रकवा 1.0584 है0 मे वर्तमान में कोई कृषि कार्य बागवानी कुक्कुट पालन मत्स्य पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है। बल्कि भूमि अकृषक भूमि के रूप में प्रयोग की जा रही है। इस प्रकार तहसीलदार हाथरस ने विवादित भूमि को अकृषक भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी है। आख्या के साथ विवादित गाटा से सम्बन्धित खसरा नक्शा नजरी एवं फोटो चित्र भी दाखिल किये हैं।उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार हाथरस की आख्या दिनांक 12–07–2017 स्वीकार की जाती है तथा उक्त आख्या के आधार पर प्रार्थी का अकृषक भूमि को कृषिक से आबादी उद्घोषित की जाती है।

उपजिलाधिकारी
हाथरस

1– प्रतिलिपि उप निबन्धक, हाथरस को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पंजीकृत कर एक प्रति उपलब्ध करायी जाये।

2– प्रतिलिपि तहसीलदार, हाथरस को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ कि अभिलेखों में इन्द्राज कशकर एक प्रति उपलब्ध करायी जाये।

उपजिलाधिकारी
हाथरस

दिनांक 25/07/2017